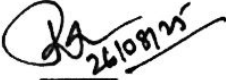


आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
26/08/25	उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा। Confiscation Case No. -01/2025-26 सरकार द्वारा पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा बनाम सुभाष खानी आदेश यह वाद पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा के पत्रांक-517/अप0शा0, दिनांक-26.03.2025 द्वारा जामताड़ा थाना काण्ड संख्या-218/2024, दिनांक-14.11.2024 में जप्त ट्रैक्टर संख्या-JH-15H-1294 एवं ट्रैक्टर की टोली पर राजसात की कार्रवाई तथा ट्रैक्टर की टोली में लदे 02 टन स्टीम कोयला का अधिग्रहण किये जाने की अनुरोध पर दायर है। माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा वाद संख्या-W.P.(C) 6788 of 2023 में पारित आदेश दिनांक-22.07.2024 के द्वारा "The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017" के नियम 11(V) को Ultra vires घोषित कर दिया गया है। फलस्वरूप अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उक्त नियम के अंतर्गत राजसात/अधिग्रहण वाद की सुनवाई नहीं की जा सकती है। अतः पक्षकार राजसात/अधिग्रहण वाद संचालन करने हेतु सक्षम न्यायालय जा सकते हैं। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित।  उपायुक्त, जामताड़ा।  उपायुक्त, जामताड़ा।	can be made 26/08/25